षोडश

बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-5

शुक्रवार, तिथि 09 फाल्गुन, 1941 (श०)
28 फरवरी, 2020 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	स्वास्थ्य विभाग	03
(2)	आपदा प्रबंधन विभाग	01
	कुल योग --	04

कार्रवाई करना

8. श्री सदानंद सिंह--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार में दिनांक 23 सितम्बर, 2018 से आयुष्मान भारत योजनान्तर्गत 660 निजी अस्पतालों से निबंधन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 तक कुल 183 निजी अस्पतालों का निबंधन सरकार द्वारा किया गया है, परंतु शेष आवेदन विभिन्न स्तरों पर लम्बित है, जबकि आयुष्मान भारत के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्ड का वितरण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा उपलब्ध कराना

9. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के 38 जिलों में से दो जिलों में ही हार्ट अटैक की स्थिति में मरीजों का इलाज संभव है तथा 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में मात्र ई0 सी0 जी0 की सुविधा दी जा रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 23 जिलों के सदर अस्पताल में ई0 सी0 जी0 सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जबकि हार्ट अटैक से प्रभावित मरीज को दो घंटे के अन्दर इलाज प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में जान-माल का नुकसान होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष बचे जिलों में भी हार्ट अटैक की स्थिति में मरीजों का इलाज उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रिक्त पद भरना

10. श्री शिवचन्द्र राम--क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नियमित डॉक्टर के स्वीकृत पद 7,249 के बदले मात्र 3,146 है, ए-ग्रेड उप-चारिका के स्वीकृत पद 4,704 है और कार्यरत मात्र 2,096 है एवं ए0 एन0 एम0 की स्वीकृत पद 21 हजार 143 है और कार्यरत मात्र 12 हजार 134 है, यदि हाँ, तो क्या सरकार डॉक्टर, ए-ग्रेड उप-चारिका एवं ए0 एन0 एम0 की खाली पड़े रिक्त पदों पर कबतक भरने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मुआवजा राशि देना

11. श्री संजय सरावगी--क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वन्य प्राणियों द्वारा मानव मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि साँप वन्य प्राणी होने के बावजूद पिछले 5 साल में सर्पदंश से सैंकड़ों व्यक्ति के मृत्यु के बावजूद एक भी व्यक्ति को मुआवजे की राशि नहीं मिली है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सर्पदंश से मौत होने वाले व्यक्ति के आश्रितों को 5 लाख रुपये मुआवजा की राशि देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 28 फरवरी, 2020 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 154(एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-550